नईदुनिया

अमृतसर पुलिस आयुक्त गुरप्रीत सिंह का तबादला

जंतर-मंतर प्रदर्शन पर दिए बयान के बाद तबादले को लेकर राजनीतिक चर्चा तेज

नईदुनिया ब्यूरो, अमृतसरः पंजाब सरकार ने अमृतसर के पुलिस आयुक्त गुरप्रीत सिंह भुल्लर का तबादला कर दिया है। गृह विभाग द्वारा शुक्रवार को जारी आदेश के अनुसार उन्हें तत्काल प्रभाव से पद से हटाकर पुलिस महानिदेशक कार्यालय में रिपोर्ट करने के निर्देश दिए गए हैं। उनकी नई तैनाती के संबंध में अलग से आदेश जारी किए जाएंगे। उनके स्थान पर सीमा रेंज के उप महानिरीक्षक हरमनबीर सिंह को अमृतसर पुलिस आयुक्त का अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया है।

गुरप्रीत सिंह भुल्लर ने 4 अगस्त को आयोजित एक प्रेस वार्ता में दावा किया था कि दिल्ली के जंतर-मंतर पर हुए प्रदर्शन के दौरान पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई समर्थित मॉड्यूल द्वारा कथित आतंकी साजिश रची गई थी। उन्होंने कहा था कि आरोपी रेल मार्ग से दिल्ली पहुंचे थे और पाकिस्तान में बैठे संचालकों के निर्देश पर उन्हें पेट्रोल बम उपलब्ध कराए गए थे। उन्होंने यह भी बताया था कि दिल्ली पुलिस की सतर्कता के कारण कथित साजिश सफल नहीं हो सकी। मामले में चार नाबालिगों सहित नौ लोगों की गिरफ्तारी की जानकारी भी दी गई थी।

धर्मयात्रा **पिथौरागढ़ में 550 से अधिक नए होम-स्टे तैयार, 15 सितंबर से दोबारा शुरू होगी यात्रा**

आदि कैलाश यात्रा वर्षभर संचालित करने की तैयारी

नईदुनिया ब्यूरो, पिथौरागढ़ः उत्तराखंड सरकार आदि कैलाश यात्रा को वर्षभर संचालित करने की दिशा में तेजी से तैयारी कर रही है। पिथौरागढ़ प्रशासन ने इसके लिए आधारभूत सुविधाओं के विस्तार, आवास व्यवस्था और संचार सेवाओं को मजबूत करने का कार्य शुरू कर दिया है। वर्तमान में खराब मौसम के कारण यात्रा अस्थायी रूप से स्थगित है, जिसे 15 सितंबर से पुनः प्रारंभ किया जाएगा। एक मई से शुरू हुई यात्रा में अब तक 52 हजार से अधिक श्रद्धालु आदि कैलाश के दर्शन कर चुके हैं।

जिलाधिकारी आशीष भटगांई ने बताया कि यदि मौसम और अन्य व्यवस्थाएं अनुकूल रहीं तो इसी वर्ष यात्रा को पूरे वर्ष संचालित करने की दिशा में निर्णय लिया जा सकता है। श्रद्धालुओं की बढ़ती संख्या को ध्यान में रखते हुए क्षेत्र में 550 से अधिक नए होम-स्टे तैयार किए गए हैं। इसके अलावा मोबाइल नेटवर्क को बेहतर बनाने के लिए भी कार्य तेज कर दिया गया है। वर्तमान में क्षेत्र में केवल बीएसएनएल और जियो की सेवाएं उपलब्ध हैं, जबकि अन्य दूरसंचार कंपनियों से भी संपर्क स्थापित किया जा रहा है ताकि यात्रियों को निर्बाध संचार सुविधा मिल सके। वर्ष 2023 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आदि कैलाश दौरे के बाद इस क्षेत्र के विकास को नई गति मिली। उनके दौरे के दौरान यात्रा को वर्षभर संचालित करने की संभावना पर विशेष जोर दिया गया था। इसके बाद से प्रशासन ने पर्यटन और तीर्थाटन से जुड़ी सुविधाओं के विस्तार पर काम शुरू किया। पिछले चार वर्षों में श्रद्धालुओं की संख्या में उल्लेखनीय वृद्धि दर्ज की गई है। जहां पहले प्रतिवर्ष लगभग दो हजार यात्री यहां पहुंचते थे, वहीं अब यह संख्या लगभग 25 गुना बढ़ चुकी है। प्रशासन का कहना है कि आदि कैलाश और कैलाश मानसरोवर यात्राओं का संचालन समन्वित रूप से किया जाएगा, ताकि श्रद्धालुओं को बेहतर सुविधाएं उपलब्ध कराई जा सकें और दोनों यात्राओं का संचालन व्यवस्थित ढंग से हो सके। आधारभूत ढांचे में सुधार के कारण यात्रा पहले की तुलना में काफी आसान हो गई है। कुछ वर्ष पहले श्रद्धालुओं को तवाघाट से लगभग 100 किलोमीटर पैदल चलना पड़ता था और पूरी यात्रा में करीब सात दिन लगते थे। वर्ष 2018 में सड़क निर्माण के बाद अब श्रद्धालु धारचूला से वाहन के माध्यम से एक ही दिन में आदि कैलाश पहुंचकर दर्शन कर सकते हैं तथा अगले दिन ओम पर्वत के दर्शन कर वापस लौट सकते हैं। प्रशासन का मानना है कि वर्षभर यात्रा शुरू होने से धार्मिक पर्यटन के साथ-साथ स्थानीय रोजगार, होम-स्टे, परिवहन और अन्य पर्यटन गतिविधियों को भी नई गति मिलेगी।

चीन और रूस के साथ बढ़ते तनाव के बीच सीमित परमाणु जवाबी कार्रवाई की नई नीति पर मंथन

अमेरिका परमाणु रणनीति में बदलाव की तैयारी, छोटे एटम बम भी होंगे विकल्प

वॉशिंगटन, एजेंसीः चीन और रूस के साथ बढ़ते सामरिक तनाव के बीच अमेरिका अपनी परमाणु नीति में महत्वपूर्ण बदलाव की तैयारी कर रहा है। नई रणनीति के तहत बड़े परमाणु हथियारों के साथ कम क्षमता वाले टैक्टिकल न्यूक्लियर हथियारों के उपयोग का विकल्प भी शामिल किए जाने पर विचार किया जा रहा है। प्रस्तावित नीति का उद्देश्य सीमित सैन्य संघर्ष की स्थिति में दुश्मन के रणनीतिक ठिकानों पर नियंत्रित जवाबी कार्रवाई की क्षमता विकसित करना है।

रिपोर्ट के अनुसार, पेंटागन के नीति प्रमुख एल्ब्रिज कोल्बी इस नई रणनीति पर कार्य कर रहे हैं। उनका मानना है कि वर्तमान व्यवस्था में अमेरिकी राष्ट्रपति के पास या तो बड़े पैमाने पर परमाणु हमला करने का विकल्प है या फिर कोई परमाणु जवाब न देने का। नई नीति के माध्यम से इन दोनों स्थितियों के बीच एक ऐसा विकल्प तैयार किया जा रहा है, जिसमें आवश्यकता पड़ने पर सीमित स्तर पर परमाणु हथियारों का उपयोग किया जा सके। टैक्टिकल न्यूक्लियर हथियार अपेक्षाकृत कम क्षमता वाले परमाणु हथियार होते हैं। इन्हें किसी शहर को व्यापक रूप से नष्ट करने के बजाय युद्ध क्षेत्र में सैन्य ठिकानों, वायुसेना अड्डों, मिसाइल प्रक्षेपण स्थलों, टैंक समूहों या सैनिकों की तैनाती जैसे सीमित लक्ष्यों को निशाना बनाने के लिए विकसित किया गया है।

विशेषज्ञों का मानना है कि यदि छोटे परमाणु हथियारों के उपयोग को सैन्य रणनीति का हिस्सा बनाया जाता है, तो भविष्य में उनके इस्तेमाल की संभावना भी बढ़ सकती है। ऐसी स्थिति में पारंपरिक सैन्य संघर्ष के परमाणु युद्ध में बदलने का जोखिम पहले की तुलना में अधिक हो सकता है। वैश्विक परमाणु शक्ति संतुलन की बात करें तो उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार रूस के पास सबसे अधिक 5,459 परमाणु हथियार हैं, जबकि अमेरिका 5,177 हथियारों के साथ दूसरे स्थान पर है। दोनों देशों के पास दुनिया के लगभग 88 प्रतिशत परमाणु हथियार मौजूद हैं।

चीन के पास लगभग 600 परमाणु हथियार हैं, हालांकि वह अपने परमाणु शस्त्रागार का सबसे तेज विस्तार करने वाले देशों में शामिल है। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान वर्ष 1945 में हिरोशिमा और नागासाकी पर परमाणु बम गिराए जाने के बाद से किसी भी युद्ध में परमाणु हथियारों का उपयोग नहीं हुआ है। इसके पीछे 'न्यूक्लियर डिटरेंस' की अवधारणा को प्रमुख कारण माना जाता है। इस रणनीति के अनुसार यदि कोई देश परमाणु हमला करता है तो उसे भी उतनी ही विनाशकारी जवाबी कार्रवाई का सामना करना पड़ेगा। इसी पारस्परिक विनाश के भय ने दशकों से परमाणु शक्तियों को ऐसे हथियारों के उपयोग से दूर रखा है।

युवती पर छिपाकर नशीला पदार्थ पहुंचाने का आरोप

लुधियाना में नशा तस्करी का कथित नया तरीका वीडियो के बाद जांच तेज

नईदुनिया ब्यूरो, लुधियानाः लुधियाना में नशा तस्करी के कथित नए तरीके का एक वीडियो सोशल मीडिया पर सामने आने के बाद पुलिस ने जांच तेज कर दी है। वायरल वीडियो में एक युवती कथित रूप से अपने कपड़ों में छिपाकर लाई गई नशीले पदार्थ की पुड़िया एक युवक को सौंपती दिखाई दे रही है। घटना के दौरान दो अन्य युवतियां भी उसके साथ मौजूद नजर आती हैं। पुलिस ने वीडियो में दिखाई दे रहे सभी लोगों की पहचान शुरू कर दी है।

प्रारंभिक जानकारी के अनुसार वीडियो ताजपुर रोड क्षेत्र का बताया जा रहा है। वीडियो में लाल रंग की टी-शर्ट पहने युवती पहले युवक के पास पहुंचती है, फिर अपने कपड़ों के भीतर हाथ डालकर कथित रूप से छिपाई गई पुड़िया निकालती है और उसे युवक के हाथ में सौंप देती है। इसके बाद वह वहां से चली जाती है। पूरी घटना के दौरान दो अन्य युवतियां भी मौके पर मौजूद दिखाई देती हैं।

पुलिस के अनुसार यह वीडियो दो दिन पुराना बताया जा रहा है और इसे सोशल मीडिया मंच फेसबुक पर साझा किया गया था। वीडियो वायरल होने के बाद साइबर टीम ने इसका संज्ञान लिया और जांच शुरू की। पुलिस का कहना है कि वीडियो में दिखाई दे रही युवतियां और युवक ताजपुर रोड क्षेत्र के आसपास के हो सकते हैं, हालांकि अभी उनकी पहचान नहीं हो सकी है। पुलिस अधिकारियों के अनुसार वीडियो में दिखाई दे रही पुड़िया में चिट्टा (हेरोइन) होने की आशंका है। हालांकि इसकी पुष्टि जांच पूरी होने के बाद ही की जाएगी। पहचान होने पर संबंधित आरोपियों के विरुद्ध मादक पदार्थ एवं मन:प्रभावी पदार्थ अधिनियम (एनडीपीएस अधिनियम) के तहत कार्रवाई की जाएगी। पुलिस ने बताया कि ताजपुर रोड क्षेत्र में पिछले दस दिनों के दौरान नशा तस्करी से जुड़े 14 मामले दर्ज किए जा चुके हैं। व्यावसायिक मात्रा में नशीले पदार्थ बरामद होने पर लगातार कार्रवाई की जा रही है।

पहलः अमेरिका में बर्थ टूरिज्म पर सख्ती नागरिकता नियमों में बदलाव की तैयारी

राष्ट्रपति ट्रम्प ने दो कार्यकारी आदेशों पर किए हस्ताक्षर, जन्म से नागरिकता के दायरे को सीमित करने की पहल

वॉशिंगटन, एजेंसीः अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प ने जन्म आधारित नागरिकता के नियमों को सीमित करने और बर्थ टूरिज्म पर रोक लगाने की दिशा में दो नए कार्यकारी आदेशों पर हस्ताक्षर किए हैं। राष्ट्रपति ने कहा कि इन कदमों का उद्देश्य उन विदेशी नागरिकों की संख्या कम करना है, जो अमेरिका में बच्चे के जन्म के माध्यम से नागरिकता प्राप्त करने की कोशिश करते हैं। उनके अनुसार बर्थराइट सिटीजनशिप व्यवस्था का दुरुपयोग हो रहा है और इसमें सुधार आवश्यक है।

राष्ट्रपति ने बताया कि नए आदेश के तहत उन विदेशी पर्यटकों पर वीजा संबंधी प्रतिबंध और कड़े किए जाएंगे, जिन पर अमेरिका में बच्चे को जन्म देने के उद्देश्य से आने का संदेह होगा। प्रशासन का मानना है कि बर्थ टूरिज्म को बढ़ावा देने वाले संगठित नेटवर्क और वीजा से जुड़े अनियमित तरीकों पर भी कार्रवाई की जाएगी।

इससे पहले जून में अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट ने जन्म आधारित नागरिकता को बरकरार रखते हुए ट्रम्प प्रशासन के पूर्व प्रयासों को अस्वीकार कर दिया था। न्यायालय ने कहा था कि अमेरिका में जन्म लेने वाले बच्चों को, चाहे उनके माता-पिता अस्थायी या अवैध रूप से देश में रह रहे हों, संविधान के प्रावधानों के अनुसार नागरिकता का अधिकार प्राप्त है।

अदालत ने अपने पूर्व निर्णयों का हवाला देते हुए इस सिद्धांत को दोहराया था।

व्हाइट हाउस के अधिकारियों का कहना है कि नए कार्यकारी आदेश संविधान के 14वें संशोधन की मूल भावना के अनुरूप हैं। प्रशासन का तर्क है कि यह संशोधन गृहयुद्ध के बाद दास प्रथा से जुड़े लोगों के अधिकारों की रक्षा के उद्देश्य से लाया गया था और इसका आशय प्रत्येक विदेशी नागरिक के बच्चे को स्वतः नागरिकता देना नहीं था।

नए आदेश लागू होने के बाद वीजा अधिकारियों को ऐसे मामलों में आवेदन अस्वीकार करने या पहले से जारी वीजा रद्द करने का अधिकार मिलेगा, जहां बर्थ टूरिज्म का संदेह हो। इसके अलावा गलत जानकारी देकर टूरिस्ट वीजा प्राप्त करने वाले मामलों को वीजा धोखाधड़ी माना जा सकेगा।

उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार वर्ष 2024 में विदेशी पते वाली माताओं से अमेरिका में लगभग 9,600 बच्चों का जन्म दर्ज किया गया था। ट्रम्प प्रशासन का कहना है कि नए कदमों का उद्देश्य आव्रजन व्यवस्था को अधिक प्रभावी और पारदर्शी बनाना है।

सुप्रीम कोर्ट से महुआ मोइत्रा को राहत नहीं

नईदुनिया ब्यूरो, नई दिल्लीः सुप्रीम कोर्ट ने तृणमूल कांग्रेस सांसद महुआ मोइत्रा की उस याचिका पर हस्तक्षेप करने से इनकार कर दिया, जिसमें उन्होंने हेट स्पीच मामले में पुलिस के समक्ष व्यक्तिगत रूप से पेश होने के कलकत्ता हाईकोर्ट के आदेश को चुनौती दी थी। सुनवाई के दौरान न्यायालय ने टिप्पणी की कि राजनीति में आने के बाद अंडे फेंके जाने से डरने की आवश्यकता नहीं है, जबकि देश के स्वतंत्रता सेनानियों ने गोलियां तक झेली थीं। न्यायमूर्ति दीपांकर दत्ता और न्यायमूर्ति शील नागू की पीठ के समक्ष महुआ मोइत्रा ने कहा कि पूर्व में अपने निर्वाचन क्षेत्र के थाने जाने पर उनके साथ दुर्व्यवहार हुआ था और उन पर अंडे फेंके गए थे। उन्होंने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से बयान दर्ज कराने की अनुमति मांगी, लेकिन न्यायालय ने इस अनुरोध को स्वीकार नहीं किया। इसके बाद उन्होंने अपनी याचिका वापस ले ली।

बारिश से दिल्ली-एनसीआर बेहाल

नोएडा में एंबुलेंस पानी में फंसी, उत्तराखंड में राष्ट्रीय राजमार्ग बंद, उत्तर प्रदेश के कई गांव जलमग्न

नईदुनिया ब्यूरो, नई दिल्लीः दिल्ली-एनसीआर में शुक्रवार को हुई तेज बारिश से जनजीवन प्रभावित हो गया। राजधानी और आसपास के कई क्षेत्रों में सड़कों पर जलभराव होने से यातायात बाधित रहा और लंबा जाम लग गया। नोएडा के सेक्टर-95 में जलभराव के बीच एक एंबुलेंस फंस गई, जिससे आवागमन प्रभावित हुआ। लगातार बारिश के कारण कई निचले इलाकों में पानी भर गया।

इस बीच गुरुवार को द्वारका सेक्टर-25 में तेज बारिश के दौरान एक युवक खुले नाले में गिरकर तेज बहाव में बह गया। घटना के बाद सात घंटे तक बचाव अभियान चलाया गया, लेकिन युवक का पता नहीं चल सका।

उत्तराखंड में लगातार वर्षा के कारण हालात गंभीर बने हुए हैं। अलकनंदा, मंदाकिनी, भागीरथी सहित छह नदियां खतरे के निशान के आसपास या उससे ऊपर बह रही हैं। हरिद्वार और ऋषिकेश में कई घाट तथा मंदिर जलमग्न हो गए हैं। रुद्रप्रयाग में विद्यालय बंद कर दिए गए हैं। राज्य में 132 सड़कें बंद हैं, जबकि बद्रीनाथ, गंगोत्री और यमुनोत्री राष्ट्रीय राजमार्ग भी भूस्खलन और मलबा आने के कारण अवरुद्ध हैं।

चमोली और कालेश्वर क्षेत्र में पहाड़ियों से पत्थर और मलबा गिरने के कारण सड़क संपर्क प्रभावित हुआ है। बागेश्वर में पत्थर गिरने से एक मकान क्षतिग्रस्त हो गया। लगातार खराब मौसम के कारण प्रशासन ने लोगों से अनावश्यक यात्रा से बचने की अपील की है।

उत्तर प्रदेश में भी लगातार बारिश से नदियों का जलस्तर बढ़ गया है। फर्रुखाबाद में गंगा नदी खतरे के निशान के करीब पहुंच गई है। बाढ़ का पानी 33 गांवों और 40 शासकीय विद्यालयों में प्रवेश कर गया है। बलिया जिले में सरयू नदी के कटाव से पिछले एक सप्ताह में 27 मकान नदी में समा चुके हैं, जिससे स्थानीय लोगों में चिंता का माहौल है। हिमाचल प्रदेश में भी वर्षा और भूस्खलन का असर देखने को मिला। शिमला-किन्नौर राष्ट्रीय राजमार्ग भूस्खलन के कारण बंद हो गया। वहीं वाराणसी में गंगा का जलस्तर बढ़ने से रत्नेश्वर महादेव मंदिर आधे से अधिक जलमग्न हो गया। लगातार हो रही वर्षा के चलते उत्तर भारत के कई राज्यों में जनजीवन प्रभावित है और प्रशासन स्थिति पर लगातार निगरानी बनाए हुए है।

तेजस्वी सूर्या की कांवड़ यात्रा ऋषिकेश पहुंची, बेंगलुरु में करेंगे जलाभिषेक

नईदुनिया ब्यूरो, हरिद्वारः भारतीय जनता युवा मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं सांसद तेजस्वी सूर्या शुक्रवार को हरिद्वार के हरकी पैड़ी से कांवड़ लेकर लगभग 26 किलोमीटर की पैदल यात्रा पूरी करते हुए ऋषिकेश स्थित ऐतिहासिक वीरभद्र महादेव मंदिर पहुंचे। मंदिर पहुंचने पर महंत ने उनका पुष्पमाला पहनाकर स्वागत किया। विधायक प्रेमचंद अग्रवाल, राज्य महिला आयोग की अध्यक्ष कुसुम कंडवाल, युवा नेता नेहा जोशी तथा बड़ी संख्या में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता और पदाधिकारी उपस्थित रहे। सुबह हरिद्वार पहुंचने पर तेजस्वी सूर्या ने कांवड़ियों पर पुष्पवर्षा की। इसके बाद वैदिक मंत्रोच्चार के बीच हरकी पैड़ी पर गंगा पूजन और आरती में भाग लिया तथा सुबह लगभग साढ़े नौ बजे कंधे पर कांवड़ उठाकर यात्रा प्रारंभ की। उन्होंने पूरे दिन व्रत रखते हुए नंगे पैर हरिद्वार से ऋषिकेश तक की यात्रा पूरी की। वीरभद्र महादेव मंदिर में दर्शन और जलाभिषेक के बाद उन्होंने अपनी यात्रा को स्वर्गाश्रम स्थित शिव गंगा घाट की ओर आगे बढ़ाया। लंबे समय से हरिद्वार से ऋषिकेश तक कांवड़ यात्रा करने की इच्छा थी।

दावा *सीबीआई के अनुसार प्रश्न तैयार करने की प्रक्रिया के दौरान ही जानकारी बाहर पहुंचाई गई...*

प्रश्न याद करके महीनों पहले रची थी नीट पेपर लीक की साजिश

नईदुनिया ब्यूरो, नई दिल्लीः नीट-यूजी 2026 प्रश्नपत्र लीक मामले की जांच में केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) ने महत्वपूर्ण खुलासा किया है। एजेंसी ने दिल्ली के राउज एवेन्यू न्यायालय में दाखिल 94 पृष्ठों के आरोपपत्र में दावा किया है कि प्रश्नपत्र लीक की साजिश परीक्षा से कई महीने पहले ही रची गई थी। आरोपपत्र के अनुसार राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी (एनटीए) के कुछ विशेषज्ञों ने प्रश्नपत्र तैयार करने की प्रक्रिया के दौरान प्रश्न याद कर लिए थे और बाद में उन्हें लिखकर आगे पहुंचाया गया।

सीबीआई के अनुसार 28 जुलाई को न्यायालय में दाखिल आरोपपत्र की जानकारी अब सार्वजनिक हुई है। जांच एजेंसी का कहना है कि प्रश्नपत्र तैयार करने के लिए नियुक्त विशेषज्ञ एनटीए कार्यालय से होटल लौटने के बाद याद किए गए प्रश्न कागज की पर्चियों पर लिखते थे। इसके बाद इन प्रश्नों को कथित रूप से बिचौलियों और कोचिंग नेटवर्क के माध्यम से छात्रों तक पहुंचाया जाता था।

आरोपपत्र में जांच के दौरान सामने आए तथ्यों के आधार पर पूरे घटनाक्रम का उल्लेख किया गया है। एजेंसी का दावा है कि प्रश्नों को परीक्षा से पहले व्यवस्थित तरीके से लीक करने के लिए कई स्तरों पर समन्वय किया गया। इस प्रक्रिया में प्रश्नपत्र तैयार करने से लेकर उन्हें छात्रों तक पहुंचाने तक की कथित श्रृंखला का भी विवरण दिया गया है। मामले में आरोपी पी. वी. कुलकर्णी और शिवराज मोटेगांवकर को आठ जुलाई को दिल्ली के राउज एवेन्यू न्यायालय में पेश किया गया था। सीबीआई की जांच के आधार पर अब न्यायालय में आगे की कानूनी प्रक्रिया जारी रहेगी। नीट-यूजी 2026 प्रश्नपत्र लीक प्रकरण देश की प्रमुख प्रवेश परीक्षाओं में पारदर्शिता और गोपनीयता को लेकर उठे गंभीर सवालों के बीच सामने आया है।

सोशल मीडिया से आपत्तिजनक सामग्री अब दो घंटे में हटेगी

नईदुनिया ब्यूरो, नई दिल्लीः केंद्र सरकार ने सोशल मीडिया मंचों के लिए आपत्तिजनक और संवेदनशील सामग्री हटाने संबंधी नियमों में महत्वपूर्ण बदलाव किया है। नए निर्देशों के अनुसार अब संवेदनशील मामलों में संबंधित ऑनलाइन सामग्री को हटाने की समय-सीमा 24 घंटे से घटाकर दो घंटे कर दी गई है। इस संबंध में गुरुवार को जारी आधिकारिक बयान में नई व्यवस्था की जानकारी दी गई। सरकार के अनुसार यह निर्णय सोशल मीडिया मंचों पर तेजी से फैल रही आपत्तिजनक, भ्रामक और संवेदनशील सामग्री पर प्रभावी नियंत्रण सुनिश्चित करने के उद्देश्य से लिया गया है। नई व्यवस्था के तहत गलत सूचना, हिंसा भड़काने वाली सामग्री तथा अन्य गंभीर प्रकृति के मामलों में सोशल मीडिया कंपनियों को निर्धारित दो घंटे के भीतर आवश्यक कार्रवाई पूरी करनी होगी। अब तक लागू व्यवस्था के अनुसार ऐसे मामलों में सोशल मीडिया कंपनियों को संबंधित सामग्री हटाने के लिए 24 घंटे का समय दिया जाता था। संशोधित निर्देश लागू होने के बाद यह अवधि घटाकर दो घंटे कर दी गई है, जिससे संवेदनशील मामलों में त्वरित कार्रवाई सुनिश्चित की जा सके। सरकार का मानना है कि डिजिटल मंचों पर तेजी से प्रसारित होने वाली आपत्तिजनक सामग्री का समय रहते नियंत्रण आवश्यक है, ताकि उसके संभावित दुष्प्रभावों को रोका जा सके। नई समय-सीमा के माध्यम से ऑनलाइन मंचों की जवाबदेही बढ़ाने और कानून-व्यवस्था से जुड़े मामलों में शीघ्र कार्रवाई सुनिश्चित करने का प्रयास किया गया है। नए निर्देशों के बाद सोशल मीडिया कंपनियों को अपनी निगरानी और प्रतिक्रिया प्रणाली को और अधिक प्रभावी बनाना होगा, ताकि निर्धारित समय-सीमा के भीतर आपत्तिजनक सामग्री हटाने की प्रक्रिया पूरी की जा सके।